रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 574] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2003/आषाढ़ 6, 1925
No. 574] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2003/ASADHA 6, 1925

वित्त मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जून, 2003

का.आ. 737(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि पंजाब एग्रो न्यूजप्रिंट लिमिटेड (पीएएनएल), जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित सरकारी कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 2क, सेक्टर 28क मध्यमार्ग चंडीगढ़ में है, का पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, लिमिटेड (पीएआईसी) जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित एक सरकारी कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 2क, सेक्टर 28क मध्यमार्ग चंडीगढ़ में है, के साथ पीएएनएल की जनशक्ति और अन्य आस्तियों के प्रभावी और दक्षतापूर्ण उपयोग के प्रयोजन के लिए और व्यय में मित्तव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्टतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गोइंदवाल साहिब, जिला अमृतसर (पंजाब) में न्यूजप्रिंट और राइटिंग पेपर परियोजना की स्थापना के लिए पीएएनएल को पीएआईसी द्वारा संप्रवर्तित किया गया और वह कार्यांवित नहीं हो सकी थी, एकल कंपनी में समामेलन किया जाना चाहिए ;

और पंजाब एग्रो न्यूजप्रिंट लिमिटेड ने 20 नवम्बर, 2000 को हुए असाधारण साधारण अधिवेशन में पूर्ववर्ती कंपनी के शेयर धारकों द्वारा पारित संकल्प द्वारा पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के साथ अपने समामेलन का अनुमोदन कर दिया है ;

और पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, लिमिटेड ने पंजाब एग्रो न्यूजप्रिंट लिमिटेड के साथ समामेलन को 7 नवम्बर, 2000 को हुए असाधारण साधारण अधिवेशन में पूर्ववर्ती कंपनी के शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्प द्वारा अनुमोदित कर दिया है।

और समामेलन के लिए प्रस्तावित आदेश की प्रति प्रारूप रूप में पूर्वोक्त कंपनियों अर्थात् मैसर्स पंजाब एग्रो न्यूजप्रिंट लिमिटेड और मैसर्स पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड को आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए दो समाचार पत्रों में उसके प्रकाशन के लिए भेजी गई थी ;

और मैसर्स पंजाब एग्रो न्यूजप्रिंट लिमिटेड का मैसर्स पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के साथ समामेलन की स्कीम, दोनों कंपनियों द्वारा दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् "द ट्रिब्यून" (अंग्रेजी), तारीख 13.07.2002 "पंजाब ट्रिब्यून" (जनभाषा)तारीख 13.07.2002 में प्रकाशित की गई ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा संघों या शेयर धारकों या लेनदारों से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 396 की उपधारा (1)और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त दोनों कंपनियों का समामेलन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पंजाब एग्रो न्यूजप्रिंट लिमिटेड और पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कोरपोरेशन लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 2003 है ।

(2) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं - इस आदेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(क) **"नियत दिन"** से वह तारीख, अभिप्रेत है जिसको यह आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

(ख) **"विघटित कंपनी"** से पंजाब एग्रो न्यूजप्रिंट लिमिटेड, अभिप्रेत है ।

(ग) **"परिणामी कंपनी"** से पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, (जिसे इसमें इसके पश्चात् पीएआईसी कहा गया है) अभिप्रेत है ।

3. शेयर धारण का पैटर्न :- 31.03.2001 को दोनों कंपनियों के शेयर धारण का पैटर्न निम्न रूप में है :—

(i) विघटित कंपनी :-

क्र.स.	शेयर धारकों का नाम	शेयरों की संख्या	प्रति शेयर का मूल्य	रकम (रूपये में)
1.	सात धारक जो पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के नाम निर्देशिती हों ।	7	10	70
2.	पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की शेयर -उपयोजन सशि	——	-----	4,99,99,930

(ii) परिणामी कंपनी) :-

क्र.सं.	शेयर धारकों का नाम	शेयरों की संख्या	प्रति शेयर मूल्य	रकम (रुपये में)
1.	पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़	45,46,355	100	45,46,35,500
2.	अन्य (पांच) धारक जो पंजाब, सरकार के नाम निर्देशिती हैं।	5	100	500
3.	केन्द्रीय सरकार की ओर से भारत के राष्ट्रपति	भारत के राष्ट्रपति को आबंटित 1,40,000 शेयरों में से 40,000शेयर 50रु. प्रति शेयर की दर से भागतः समादत्त हैं ।	--	1,20,00,000

(ख) विघटित कंपनी के सभी शेयरों को जो अब पीएआईसी के नामनिर्देशितियों के नाम धारित हैं, निर्वापित कर दिया जाएगा ।

(ग) परिणामी कंपनी अर्थात् पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड कोई और शेयर जारी नहीं करेगी और उसके शेयर धारण पैटर्न में परिवर्तन नही होगा ।

4. **कंपनियों का समामेलनः(i)** नियत दिन से ही - विघटित कंपनी का समस्त कार्यभार और उपक्रम जहां है, जैसा है की शर्त पर, जिसके अंतर्गत सभी संपत्तियां, चाहे जंगम हों या स्थावर और अन्य आस्तियां चाहे वे जिस प्रकृति की हों, जिसके अंतर्गत मशीनरी और सभी स्थिर आस्तियां, पट्टे, अभिधृति अधिकार, शेयरों में या अन्यथा विनिधान, व्यापार स्टाक, कर्मशाला, औजार, अभिवहन में माल, सभी किस्मों के धनों का अग्रिम, बही ऋण, बकाया धन, वसूली योग्य दावे, करार, औद्योगिक और अन्य अनुज्ञप्तियां और अनुज्ञापत्र, आयात और अन्य अनुज्ञप्तियां, आशय के पन्ने और सभी अधिकार के पत्र तथा प्रत्येक प्रकार की शक्तियां सम्मिलित हैं किन्तु विघटित कंपनी की उक्त संपत्तियों को प्रभावित करने वाले सभी बंधक और प्रभार और आडमान, प्रतिभूतियां और सभी अधिकारों, जो हों, के अधीन रहते हुए बिना और कार्य या विलेख के तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार परिणामी कंपनी को अंतरित हो जाएगी और उसमें निहित हो जाएगी या अंतरित और उसमें निहित समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण :- विघटित कंपनी के उपक्रम के अंतर्गत विकास रिबेट आरक्षिति, यदि कोई है, सभी अधिकार, शक्तियां प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी संपत्ति चाहे जंगम हों या स्थावर आती हैं जिसके अंतर्गत नकद अतिशेष आरक्षिति, राजस्व अधिशेष विनिधान और ऐसी संपत्तियों में या उससे उद्भूत सभी संबंधित हित और अधिकार जो नियत दिन के ठीक पूर्व विघटित कंपनी के हों या उसके कब्जे में हों और उससे संबंधित सभी बहियां लेखा और दस्तावेज विघटित कंपनी की बाबत विद्यमान किसी भी किस्म के सभी ऋण , दायित्व, कर्तव्य और बाध्यताएं भी आती हैं।

(ii) लेखा प्रयोजन के लिए, समामेलन उक्त दोनों कंपनियों के 31.03, 2001 को संपरीक्षित लेखा और तुलन पत्रों के प्रतिनिर्देश से प्रभावी होगा और उसके

पश्चात् संव्यवहार एक ही खाते में पूलित किया जाएगा । विघटित कंपनी से किसी पश्चातवर्ती तारीख को उसके अंतिम खाते तैयार करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और परिणामी कंपनी के 31.03, 2001 के तुलनपत्र के अनुसार सभी आस्तियों और दायित्वों को ग्रहण करेगी और उसके पश्चात् विघटित कंपनी के सभी संव्यवहारों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व स्वीकार करेगी ।

5. **संपत्ति की कतिपय मदों का अंतरण** - इस आदेश के प्रयोजन के लिए, नियत दिन को विघटित कंपनी के सभी लाभ या हानियां या दोनों, यदि कोई हो, और विघटित कंपनी की राजस्व आरक्षितियों या कमियां या दोनों, यदि कोई हो की बाबत परिणामी कंपनी को अंतरित होते समय, यथास्थिति परिणामी कंपनी के क्रमशः लाभ या हानियां और राजस्व आरक्षितियों या कमियों के भाग होंगे ।

6. **संविदाओं की व्यावृत्ति आदि** - इस आदेश में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी सभी संविदाएं, विलेख, बंध पत्र, करार और अन्य लिखित चाहे वे किसी भी प्रकृति के हों, विघटित कंपनी एक पक्षकार है, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान या प्रभावी हैं,परिणामी कंपनी के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्णतया प्रवृत और प्रभावी होंगे और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप में प्रवृत किया जा सकेगा मानों विघटित कंपनीके स्थान पर परिणामी कंपनी उसकी एक पक्षकार है।

7. **विधिक कार्यवाहियों की व्यावृत्तिः**- यदि नियत दिन को विघटित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किए गए कोई वाद, अभियोजन, अपील या अन्य विधिक कार्यवाहियां चाहे किसी प्रकृति की हों, लंबित हैं तो विघटित कंपनी के उपक्रम के परिणामी कंपनी को अंतिरित हो जाने या इस आदेश में किसी बात के कारण उपशमित नहीं होंगी या रोकी नहीं जाएंगी या किसी भी प्रकार से प्रतिकूल रूप में प्रभावित नहीं होगी, किंतु वाद, अभियोजन, अपील या अन्य विधिक कार्यवाहियां उसी रीति से और उसी सीमा तक परिणामी कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी और अभियोजन प्रवृतित किया जा सकेगा जिस प्रकार यदि वह आदेश न किया गया होता तो विघटित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रहती, अभियोजन किया जाता और प्रवृत रहती ।

8. **कराधान की बाबत उपबंध** - नियत दिन से पूर्व, विघटित कंपनी द्वारा किए गए कारोबार के लाभों और अभिलाभों, (जिसके अंतर्गत संचित हानियों और अनामेलित अवक्षयण सम्मिलित है) की बाबत सभी कर, परिणामी कंपनी द्वारा ऐसी रियायतों और राहतों के अधीन रहते हुए, संदेय होंगे जो इस समामेलन के परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम 1961, (1961 का 43) के अधीन अनुज्ञात किए जाएं ।

9. **विघटित कंपनी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की बाबत उपबंध** - विघटित कंपनी में नियत दिन के ठीक पूर्व नियोजित प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी (विघटित कंपनी के निदेशकों को छोड़कर) नियत दिन से ही परिणामी कंपनी का यथास्थिति, अधिकारी या कर्मचारी हो जाएगा और उसमें अपना पद या अपनी सेवा उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और उन्हीं बाध्यताओं के साथ और छुट्टी, छुट्टी किराया रियायत, कल्याण स्कीम, चिकित्सा प्रसुविधाएं स्कीम, बीमा, भविष्य निधि और अन्य निधियों , सेवा निवृत्ति, स्वेच्छया निवृत्ति, उपदान और अन्य फायदों के बारे में वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जिनके साथ वह विघटित कंपनी में पद धारण करता, यदि यह आदेश न किया जाता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि परिणामी कंपनी में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या पारस्परिक सहमति द्वारा उसके पारिश्रमिक और नियोजन की शर्तों में सम्यक् रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है । अधिकारियों से भिन्न सभी कर्मचारियों की ज्येष्ठता नियत तारीख के ठीक पूर्व विघटित कंपनी में जैसे वह विद्यमान थी रखी जाएगी जिसका यह अभिप्राय होगा कि पर्यवेक्षण स्तर तक के कर्मचारियों के बीच ज्येष्ठता, प्रोन्नति के अवसर और स्थानांतरण आदेशों के जारी होने के समय कार्यरत कर्मचारियों की बाबत परिणामी कंपनी में समामेलन के पश्चात् भी संरक्षित रहेंगे । उसके पश्चात् भर्ती किए गए कर्मचारी परिणामी कंपनी की अधिकारिता के भीतर अंतरित किए जा सकेंगे । तथापि, पर्यवेक्षण कैडर से प्रबंधक कैडर तक प्रोन्नतियां परिणामी कंपनी के भीतर ज्येष्ठता के अनुसार होंगी । प्रबंधक कैडर में ज्येष्ठता को विलयन पर परिणामी कंपनी के भीतर नया रूप दिया जाएगा।

10 **निदेशकों की स्थितिः-** विघटित कंपनी का प्रत्येक निदेशक जो नियत दिन के ठीक पूर्व उसी रूप में पद धारणं किए हुए है, नियत दिन को विघटित कंपनी का निदेशक नहीं रह जाएगा ।

11. **भविष्य निधि, अधिवर्षिता, कल्याण और अन्य निधियां-** आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसरण के अधीन रहते हुए, विघटित कंपनी द्वारा उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कल्याण निधि और किसी अन्य निधि के न्यासी, नियत दिन को न्यास की निधियों का अंतरण परिणामी कंपनी को करेंगे, जो ठीक नियत दिन से उपरोक्त धन से एक या अधिक न्यासों का गठन करेंगे, जिसके उद्देश्य, निबंधन और शर्तें वही होंगी जो विद्यमान न्यास की हैं या विद्यमान निधियों का परिणामी कंपनी के तत्स्थानी एक या अधिक न्यासों को अंतरण किया जा सकेगा और विघटित कंपनी तथा परिणामी कंपनी द्वारा स्थापित न्यास के हिताधिकारियों के अधिकारों और हितों को किसी भी रूप में कम या प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा ।

12. **भविष्य निधि की सदस्यता-** विघटित कंपनी के सभी अधिकारी और कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1962 (1962 का 19) के अधीन उस कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य बने रहेंगे जिसके वे सदस्य थे और परिणामी कंपनी, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से इन अधिकारियों और कर्मचारियों की बाबत उक्त कर्मचारी भविष्य निधि में नियोजक का अभिदाय उसी दर से करेगी और करती रहेगी जिस दर से विघटित कंपनी करती रही है ।

13. **पंजाब एग्रो न्यूजप्रिंट लिमिटेड का विघटन-** इस आदेश के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियत दिन से ही पंजाब एग्रो न्यूज़प्रिंट लिमिटेड का विघटन हो जाएगा और कोई व्यक्ति, विघटित कंपनी के विरुद्ध या उसके किसी निदेशक या किसी अधिकारी के विरुद्ध, उसके ऐसे निदेशक या अधिकारी की हैसियत में कोई दावा नहीं करेगा, मांग प्रख्यापित नहीं करेगा या कार्यवाही प्रारंभ नहीं करेगा

सिवाय उनके जो इस आदेश के उपबंधों को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक हों।

14. **कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्रीकरण** - केन्द्रीय सरकार, इस आदेश के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, कंपनी रजिस्ट्रार, जालन्धर को इस आदेश की प्रति भेजेगा जिसकी प्राप्ति पर कंपनी रजिस्ट्रार, जालन्धर परिणामी कंपनी द्वारा विहित फीस को संदेय किए जाने पर आदेश को रजिस्टर करेगा और इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा । उसके पश्चात् कंपनी रजिस्ट्रार जालन्धर विघटित कंपनी के संबंध में उसके पास रजिस्ट्रीकृत, अभिलिखित या फाइल किए गए सभी दस्तावेज पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड जिस के साथ अंतरक कंपनी का समामेलन किया गया है, की फाइल में रखेगा और उन्हें समेकित करेगा और इस प्रकार समेकित दस्तावेजों को अपनी फाइल में रखेगा ।

15. **परिणामी कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद** -- पंजाब एग्रो न्यूजप्रिंट लिमिटेड के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, जिस रूप में वे नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान हैं, नियत दिन से ही परिणामी कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद हो जाएंगे ।

[फा. सं. 24/02/2001/सीएल-III]

राजीव महर्षि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Company Affairs)

ORDER

New Delhi, the 27th June, 2003

S.O. 737(E).— Whereas the Central Government is satisfied that it is essential in the public interest that the **Punjab Agro Newsprint Limited (PANL)**, a Government Company, incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at 2A, Sector 28A, Madhya Marg, Chandigarh should be amalgamated with the **Punjab Agro Industries Corporation Limited (PAIC)**, a Government Company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) having its registered office at 2A, Sector 28A, Madhya Marg, Chandigarh into a single company for the purpose of effective and efficient use of manpower and other assets of the PANL and for ensuring economy in expenditure particularly in view of the fact that PANL was promoted by PAIC for setting up of the project Newsprint and Writing Paper at Goindwal Sahib, Distt. Amritsar (Punjab) and the same could not be implemented;

AND WHEREAS, the Punjab Agro Newsprint Limited has approved its amalgamation with Punjab Agro Industries Corporation Limited by resolution passed by the shareholders of the former Company in the Extra Ordinary General Meeting held on 20th November, 2000;

AND WHEREAS, the Punjab Agro Industries Corporation Limited approved the amalgamation with it of the Punjab Agro Newsprint Limited by resolution passed by the shareholders of the former Company in the Extra Ordinary General Meeting held on 7th November, 2000;

AND WHEREAS, a copy of the draft Order for the amalgamation was sent to the aforesaid companies namely M/s.Punjab Agro Newsprint Limited and M/s.Punjab Agro Industries Corporation Limited for its publication in two newspapers inviting objections and suggestions;

AND WHEREAS, the scheme of amalgamation of M/s.Punjab Agro Newsprint Limited with M/s.Punjab Agro Industries Corporation Limited was published by both the companies in daily newspapers namely "The Tribune" (English) on 13.07.2002 and "Punjabi Tribune" (Vernacular Language) on 13.07.2002;

AND WHEREAS, no objections or suggestions were received from the Unions or Shareholders or Creditors, by the Central Government;

1193 GI/03

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following Order to provide for the amalgamation of the said two companies, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) This order may be called the Punjab Agro Newsprint Limited and the Punjab Agro Industries Corporation Limited (Amalgamation) Order, 2003.

(2) This order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Defination**s:- In this order, unless the context otherwise requires,-

(a) **"appointed day"** means the date on which this order is notified in the Official Gazette;

(b) **"dissolved company"** means the Punjab Agro Newsprint Limited;

(c) **"resulting company"** means the Punjab Agro Industries Corporation Limited (hereinafter referred to as PAIC).

3. **Share holding pattern.** - (a) The shareholding pattern of the two companies as on 31.03.2001 is as under :-

(i) **Dissolved company** :-

S. No.	Name of Shareholders	Number of shares	Value of per share	Amount (Rs.)
1.	Seven holding who are nominees of Punjab Agro Industries Corporation Limited.	7	10	70
2.	Share application money of Punjab Agro Industries Corporation Limited	------	------	4,99,99,930

(ii) **Resulting company:-**

S. No.	Name of Shareholders	Number of shares	Value of per share	Amount (Rs.)
1.	The Governor of Punjab, Chandigarh	45,46,355	100	45,46,35,500
2.	Other (Five) holding who are nominees of the Government of Punjab.	5	100	500
3.	President of India on behalf of Central Government.	1,40,000 Out of 1,40,000 shares allotted to President of India, 40,000 shares are partly paid up @ Rs.50/- each share.	---	1,20.00,000

(b) All the shares of the dissolved company which are now held in the name of the nominees of PAIC shall be extinguished.

(c) The resulting company viz. Punjab Agro Industries Corporation Limited, shall not issue any further shares and its shareholding pattern shall remain unchanged.

4. **Amalgamation of companies:** - (i) On and from the appointed day, the entire business and undertaking of the dissolved company in as is where is condition, including all the properties, movable and immovable and other assets of whatsoever nature, including machinery and all fixed assets, leases, tenancy rights, investments in shares or otherwise, stock-in trade, workshop, tools, goods-in transit, advances of monies, all kinds of book debts, outstanding monies, recoverable claims, agreements, industrial and other licenses and permits, imports and other licenses; letters of intent and all rights and powers of every description, but subject to all mortgages and charges and hypothecation.

guarantees, and all rights whatsoever, affecting the said properties of dissolved company shall without further act or deed be transferred to and vest in or deemed to be transferred to and vested in the resulting company in accordance with the law for the time being in force.

Explanation .- The undertaking of the dissolved company shall include Development Rebate Reserve, if any, all rights, powers, authorities and privileges and all property, movable or immovable, including cash balances, reserves, revenue balances, investments, all other interests and rights in or arising out of such property as may belong to, or be in the possession of , the dissolved company, immediately before the appointed day, and all books, accounts and documents relating thereto and also all debts, liabilities, duties and obligation of whatever kind then existing of the dissolved company.

(ii) For accounting purposes, the amalgamation shall be effected with reference to the audited accounts and balance sheets as on the 31.03.2001 of the said two companies and the transactions thereafter shall be pooled into a common account. The dissolved company shall not be required to prepare its final accounts as on any later date and the resulting company shall take over all assets and liabilities according to the Balance Sheet of the dissolved company as on 31.03.2001 and shall accept full responsibility for all transactions of the dissolved company thereafter.

5. Transfer of certain items of property: - For the purpose of this Order, all the profits or losses, or both, if any, of the dissolved Company as on the appointed day, and the revenue reserves or deficits, or both, if any, of the dissolved company when transferred to the resulting company, shall respectively form part of the profits or losses and the revenue reserves or deficits, as the case may be, of the resulting company.

6. Saving of contracts, etc. - Subject to the other provisions contained in this Order, all contracts, deeds, bonds, agreements and other instruments of whatever nature to which the dissolved company is a party, subsisting or having effect immediately before the appointed day, shall have full force and effect, against or in favour of the resulting company and may be enforced as fully and effectually, as if, instead of the dissolved company, the resulting company had been a party thereto.

7. Saving of legal proceedings. - If on the appointed day, any suit, prosecution, appeal or other legal proceeding of whatever nature by or against the dissolved company be pending, the same shall not abate or be discontinued, or be in any way prejudicially affected by reasons of the transfer to the resulting company of the undertaking of the dissolved company or of anything contained in this Order, but the suit, prosecution, appeal or other legal proceedings may be

continued, prosecuted and enforced, by or against the resulting company in the same manner and to the same extent as it would or may be continued, prosecuted and enforced by or against the dissolved company if this Order had not been made.

8. **Provisions with respect to taxation:** - All taxes in respect of the profit and gains (including accumulated losses and unabsorbed depreciation) of the business carried on by the dissolved company before the appointed day shall be payable by the resulting company subject to such concessions and reliefs as may be allowed under the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) as a result of this amalgamation.

9. **Provisions with respect to officers and other employees of the dissolved Company.** - Every whole-time officer or other employee (excluding the directors of the dissolved company) employed immediately before the appointed day, in the dissolved company, shall, as from the appointed day, become an officer or employee, as the case may be, of the resulting company and shall hold his office or service therein by the same tenure and upon the same terms and conditions and with the same obligations and with the same rights and privileges as to leave, leave fare concession, welfare scheme, medical benefits scheme, insurance, provident fund and other funds, retirement, voluntary retirement, gratuity and other benefits as he would have held under the dissolved company, if this Order had not been made, and shall continue to do so unless and until employment in the resulting company is duly terminated or until his remuneration and conditions of employment are duly altered by mutual consent. The seniority of all employees other than officers as it existed in the dissolved company immediately before the appointed date would be maintained, implying that the seniority, promotional opportunities and transfer among employees upto supervisory level shall remain protected even after amalgamation in the resulting company in respect of employees on roll at the time of issue of Orders. The employees recruited thereafter would be transferred within the jurisdiction of the resulting company. The promotions from supervisory cadre to managerial cadre will, however, be as per seniority within the resulting company. The seniority among the managerial cadre shall be recast within the resulting company on merger.

10. **Position of Directors.**- Every director of the dissolved company holding office as such immediately before the appointed day shall cease to be a director of the dissolved company on the appointed day.

11. **Provident, superannuation, welfare and other funds.** – Subject to the compliance with the provisions of the Income –tax Act, 1961 (43 of 1961), the trustees of the provident fund or superannuation fund or welfare fund and any other funds established by the dissolved company for the benefit of its officers and employees shall transfer funds of the trust as on the appointed day to the resulting company, who shall immediately from the appointed day constitute the above moneys into one or more trusts with the objects, terms and conditions similar to those of the existing trust or the said existing funds may be transferred to one or more corresponding trusts of the resulting company and the rights and interests of the beneficiaries of the trust established by the dissolved company and resulting company shall not in any way be diminished or prejudiced.

12. **Membership of Provident Fund:** - All officers and employees of the dissolved company shall continue to be member of the Employee's Provident Fund under the scheme of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) of which they are members and the resulting company shall with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette make and continue to make the employer's contributions to the said employees provident fund in respect of the officers and employees at the same rates as were being made by the dissolved company.

13. **Dissolution of Punjab Agro Newsprint Limited:** - Subject to the other provisions of this Order, as from the appointed day, the Punjab Agro Newsprint Limited shall be dissolved and no person shall make, assert or take any claims, demands or proceedings against the dissolved company or against a director or any officer thereof in his capacity as such director or officer, except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this Order.

14. **Registration of the Order by the Registrar of the Companies:** - The Central Government shall, as soon as may be, after this Order is notified in the Official Gazette, send to the Registrar of Companies, Jalandhar, a copy of this Order, on receipt of which the Registrar of Companies, Jalandhar, shall register the Order on payment of the prescribed fees by the resulting Company and certify under his hand the registration thereof within one month from the date of receipt of a copy of this Order. Thereafter the Registrar of Companies, Jalandhar shall place all documents registered recorded or filed with him relating to the dissolved company on the file of the Punjab Agro Industries Corporation Limited with whom the transferor company has been amalgamated and consolidate these and shall keep such consolidated documents on his file.

15. Memorandum and Articles of Association of the resulting company: - The Memorandum and Articles of Association of the Punjab Agro Newsprint Limited as they stood immediately before the appointed day shall, as from the appointed day, be the Memorandum and Articles of Association of the resulting company.

[F. No. 24/2/2001/CL-III]

RAJIV MEHRISHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.